

राजस्थान सरकार
निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राज0, जयपुर

डॉ0 राधाकृष्णन शिक्षा संकुल परिसर, मदरसा बोर्ड भवन, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर-302015
ईमेल: raj.minocell@gmail.com
वेबसाइट: www.minority.rajasthan.gov.in

फोन : 0141-2711773

विज्ञप्ति

अल्पसंख्यक समुदाय छात्रवृत्ति योजना (2019-20)

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम, सिक्ख, जैन, ईसाई, बौद्ध पारसी) हेतु संचालित केन्द्रीय प्रवर्तित छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत राज्य को आवंटित लक्ष्यों के अनुसार अल्पसंख्यक समुदाय के निर्धन परिवारों के मेधावी छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्तियां प्रदान कर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, ताकि समुदाय को उच्च शिक्षा में अच्छे अवसर प्रदान कर गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकें।

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना:- यह कक्षा 11 और 12 स्तर के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों में तकनीकी तथा व्यवसायिक पाठ्यक्रमों को भी कवर करेगी (XIth and XIIth, BA, BCom, B.Sc, MA, M.Com, M.Sc, B.Ed, M.Ed, B.Tec, GNM, ANM, All One Year Diploma Courses, BCA, Polytechnic, ITI)।

पात्रता:-

1. आवेदक के माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 2.00 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिये।
2. गत शैक्षणिक सत्र की परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।
3. राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
4. छात्र/छात्रा राजकीय/मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में विधिवत कोर्सों में नियमित अध्ययनरत होना आवश्यक हैं।

मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजना:- व्यवसायिक/तकनीकी शिक्षा (Professional/Technical Education) के स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु (B.E/M.E, B.Tech, M.Tech, MBBS, MD/MS, BDS, MDS, BHMS, MBA, MCA, CA/CS, ICWA, B.Sc/M.Sc Nursing, BVSC, LLB/LLM, BUMS, BAMS)।

पात्रता:-

1. आवेदक के माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिये।
2. गत शैक्षणिक सत्र की परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।
3. राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
4. छात्र/छात्रा राजकीय/मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में विधिवत कोर्सों में नियमित अध्ययनरत होना आवश्यक हैं।

मंत्रालय स्तर से छात्रवृत्ति योजनागत आवेदन की निर्धारित तिथियों का विवरण निम्नानुसार है:-

SCHEME NAME	ACTIVITIES	DATES
POST MATRIC SCHOLARSHIP & MERIT CUM MEANS SCHOLARSHIP	Opening of Portal for submission of Post Matric Scholarship Application	15 th July 2019
	Last date of online submission of Post Matric Scholarship Application	31 st October 2019
	Last Date for first level Verification (Institute level Verification)	15 th Novemeber 2019
	Last date for second level Verification (District level Verification)	30 th November 2019

आनलाईन फार्म भरते समय विद्यार्थियों के लिए ध्यान देने योग्य बिन्दु:-

1. आवेदकों को परामर्श दिया जाता है कि वे नेशनल स्कोलरशिप पोर्टल वेबसाइट www.scholarships.gov.in या मोबाईल ऐप- **National Scholarship(NSP)** पर छात्रवृत्ति योजनाओं में से किसी एक योजना के लिए ऑनलाईन आवेदन करें।
2. आनलाईन आवेदन भरने के लिए विस्तृत निर्देश और बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) नेशनल स्कोलरशिप पोर्टल वेबसाइट www.scholarships.gov.in के होम पेज पर उपलब्ध है।
3. छात्र-छात्राओं द्वारा आनलाईन आवेदन को पूर्ण करने के पश्चात् Final Submit किया जाना आवश्यक है, तत्पश्चात् Editing नहीं की जा सकती, अन्यथा गलत सूचना/अपूर्ण फार्म होने पर सम्पूर्ण प्रकार की जिम्मेदारी स्वयं की होगी।
4. ऑनलाईन आवेदन के समय विद्यार्थी अपने संस्थान, कोर्स, योजना का नाम, वर्ष आदि का सावधानी से चयन करें।

my

(54)

5. आवेदक को परामर्श दिया जाता है कि केवल वही बैंक खाता विवरण दे जो सक्रिय मोड (बालू) में है या बैंक के निर्देशों के अनुसार हो ताकि छात्रवृत्ति का भुगतान विफल न हो।
6. विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन Final Submit किये जाने के पश्चात् प्रिन्ट लेकर वांछित दस्तावेज सहित संबंधित शिक्षण संस्था प्रधान को जमा करवा सकते हैं एवं सुविधा के लिए एक प्रति स्वयं रखें।
7. जिला स्तर पर किसी भी प्रकार से ऑफलाईन आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
8. जिन विद्यार्थियों को पूर्व में छात्रवृत्ति राशि प्राप्त हो गई है, उन्हें नवीनीकरण में ऑनलाईन आवेदन करना होगा, योजनागत नवीन/नवीनीकरण का सही चयन नहीं किये जाने सम्पूर्ण प्रकार की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
9. अन्य राज्यों के विद्यार्थी, जो राजस्थान में अध्ययनरत हैं, उन विद्यार्थी का ऑनलाईन आवेदन का स्कूटनी कार्य संबंधित शिक्षण संस्था प्रधान द्वारा सम्बन्धित राज्य (आवेदक के गृह राज्य) के नोडल अधिकारी को ऑनलाईन अग्रेषित किया जाएगा।

शैक्षणिक संस्थाओं के लिये अपील

1. सभी विश्वविद्यालय/शिक्षण संस्था/महाविद्यालय/विद्यालय स्वयं पंजीयन करें और संचालित कोर्स की जानकारी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर इंद्राज करें, जिससे संबंधित विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन कर सकेंगे तथा आवेदन पत्र को संस्था निर्धारित समयावधि में ऑनलाईन अग्रेषित (सत्यापन) करें।
2. नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर जिन विद्यालयों/महाविद्यालयों अथवा संस्थाओं के DISE CODE/ AISHE CODE वैध नहीं है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा ऐसी संस्थाओं के पंजीकरण निरस्त कर दिये गये हैं। इन संस्थाओं द्वारा वैध/VALID DISE CODE/ AISHE CODE प्राप्त करने पर नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर पुनः पंजीकरण करवाया जा सकता है।
3. पोर्टल पर सभी संस्थाओं के पंजीकृत ई-मेल आई.डी. व मोबाइल नं० Deactivate कर दिए गए हैं, पुनः पंजीकरण की प्रक्रिया निम्नानुसार है:-
 - शिक्षण संस्था द्वारा नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर लॉगिन करने के पश्चात् होमपेज पर प्रदर्शित अनुसार संस्था registration form भरें, तत्पश्चात् ऑनलाईन फार्म सबमिट कर रेफरेन्स आई.डी. प्राप्त कर इसे नोट कर लें। फार्म का प्रिंट आउट संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणित करवाकर संबंधित कार्यालय, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी में जमा करावें। जिला नोडल अधिकारी द्वारा वेरिफिकेशन के पश्चात् शिक्षण संस्था को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर एक्टिवेट कर दिया जावेगा।
 - संस्था के रजिस्ट्रेशन फार्म की संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणित एक प्रति जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, कार्यालय में जमा की जावेगी, व दूसरी प्रति संस्था को रिकार्ड के लिए सौंप दी जावेगी, जिसे आवश्यकता पड़ने पर जिला अथवा नोडल अधिकारी द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है।
4. सभी विश्वविद्यालयों/संस्थानों/महाविद्यालयों/विद्यालयों, जहां कोई अल्पसंख्यक छात्र पढ़ रहा है, को 31 जुलाई तक नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करवाना चाहिए (यदि उन्होंने ऐसा पहले नहीं किया है)।
5. संबंधित शिक्षण संस्था द्वारा आवेदन पत्रों को दिनांक 15.11.2019 तक ऑनलाईन अग्रेषित करने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है।

नोट:- कक्षा 01 से 10 वी तक की ग्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति का समस्त कार्य संधारण निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर द्वारा किया जाता है।

अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित पोस्ट मैट्रिक एवं मैरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजनाओं के ऑनलाईन आवेदन दायर करने की अंतिम तिथि 31.10.2019 है। छात्रवृत्ति 2019-20 से संबंधित समस्त जानकारी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल वेबसाइट www.scholarships.gov.in के अतिरिक्त विभागीय वेबसाइट www.minority.rajasthan.gov.in पर भी देख सकते हैं।

निदेशक
अल्पसंख्यक मामलात विभाग